

713 34

# भागलपुर विश्वविद्यालय



प्रमाणित किया जाता है कि प्रेम प्रकाश सिंह को,  
जिन्होंने स्नातकोत्तर विभाग, भागलपुर से सन् १९८६ के दिसम्बर मास में  
आयोजित १९८१ की मास्टर ऑफ साइंस की परीक्षा में जन्तु विज्ञान में  
प्रथम वर्ग में उत्तीर्णता प्राप्त की, आज मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि के लिए  
अधिकृत किया गया।

भागलपुर विश्वविद्यालय  
भागलपुर।  
दिनांक १८ अक्टूबर, १९८४

साँ. आ. वाहीदे  
कुलपति



भारत सरकार  
Government of India



प्रेम प्रकाश सिंह  
Prem Prakash Singh  
जन्म तिथि/DOB: 04/01/1962  
पुरुष/ MALE



**2297 5013 9819**

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India

**Address:**

S/O: Mohan Prakash Singh, F-  
5 USHA ENCLAVE B B SARKAR  
ROAD, BARMASIA, Deoghar,  
Deoghar,  
Jharkhand - 814112

**पता:**

आत्मज: मोहन प्रकाश सिंह, एफ.5 उषा  
इन्क्लेव बी बी सरकार रोड, बरमसिया, देवघर,  
देवघर,  
झारखण्ड - 814112

**2297 5013 9819**



# कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार

टप्पा/तहसील..... जिला..... (म.प्र.)



प. क्र. 106 बी-12/ब. / 2011-2012

## स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. शुभम कुमार पांडेय  
 पिता/पति श्री. राजेश पांडेय निवासी सुरपतिहरपुरी तहसील  
 जिला शिव (मध्यप्रदेश), राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील ज्ञाप दिनांक सी-3/22/2010/3/एक भोपाल दिनांक 28.10.2010 में निर्धारित मापदण्ड की कठिनाई क्रमांक 4 (1) & 2 की पूर्ति करने के अलावा मध्यप्रदेश में स्थानीय निवासी है।

2.\* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/22/2010/3/एक भोपाल दिनांक 28.10.2010 के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी/अवयस्क बच्चे/बिना विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है-

- (1) आवेदक की पत्नी का नाम श्रीमती. शिवमती पांडेय आयु 29 वर्ष है।
- (2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री
 

(1) .....	आयु .....	वर्ष .....
(2) .....	आयु .....	वर्ष .....
(3) .....	आयु .....	वर्ष .....
(4) .....	आयु .....	वर्ष .....
(5) .....	आयु .....	वर्ष .....
(6) .....	आयु .....	वर्ष .....
(7) .....	आयु .....	वर्ष .....
(8) .....	आयु .....	वर्ष .....
(9) .....	आयु .....	वर्ष .....
(10) .....	आयु .....	वर्ष .....

टीप :- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की भांति में सहाय्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

ह. तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
तहसील  
 जिला

\* लागू न होने पर काट दें।



# उत्तर प्रदेश शासन

कार्यालय उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र

जिला  
तहसील  
आवेदन क्र०  
प्रमाणपत्र क्र०

देवरिया  
देवरिया  
60002140007697  
600121403842

जारी दिनांक: 01/03/2014

सम्बन्धित लेखपाल की जांच आख्या दिनांक 01/03/2014 के आधार पर एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री  
मकान नम्बर

- अर्चना गुप्ता  
- राजेश कुमार गुप्ता

मौहल्ला/पोस्ट/मजरा

ग्राम

थाना

तहसील

जिला

मौहल्ला-परसिया ऊर्फ खरजरवां

परसिया ऊर्फ खरजरवां

कोतवाली देवरिया

देवरिया

देवरिया



उत्तर प्रदेश का/की निवासी है व उसका वर्तमान पता मकान नम्बर ग्राम परसिया ऊर्फ खरजरवां मौहल्ला/पोस्ट/मजरा मौहल्ला-परसिया ऊर्फ खरजरवां तहसील देवरिया, जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश है।

2. उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप - १ में आवेदन एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य निवासी होने विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।



*Jhm*

जारी कर्ता केन्द्र: सहज जन सेवा केंद्र

पद: वीरेंद्र भारती, केन्द्र प्रभारी

स्थान: Dhanauti kala, देवरिया, रामपुर कारखाना, देवरिया

दिनांक: 01/03/2014

हस्ताक्षर एवं मूहर

Digitally Signed by

Gupta Dinesh Kr.

(SN=7904BAC0FD27D2852ED3)

सक्षम अधिकारी/उप जिलाधिकारी

डिजिटल हस्ताक्षरित

देवरिया, देवरिया

दिनांक: 01/03/2014

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया तथा सक्षम अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवं सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मियों द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://uponline.up.nic.in> पर सत्यापित किया जा सकता है।



बिहार सरकार

GOVERNMENT OF BIHAR

फॉर्म-XIII

कार्यालय का नाम

जिला : मधुबनी , अनुमंडल : मधुबनी, प्रखंड : बाबूबरही

निवास प्रमाण-पत्र

दिनांक : 19/10/2012


आवेदन संख्या : 040172054101205660

प्रमाण-पत्र संख्या : 5760

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सु:नी सत्य नारायण साहू Sri/Smt./Kumari Satya Narayan Sahu पिता/पति कमल नाथ साहू Father/Husband Kamal Nath Sahu ग्राम/नगर मुरह्दी पोस्ट बाबूबरही थाना बाबूबरही प्रखंड बाबूबरही अनुमंडल मधुबनी जिला मधुबनी राज्य बिहार के स्थायी/अस्थायी निवासी हैं।

स्थान :

दिनांक : .....



**कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार,  
टप्पा/तहसील अमरपाटन जिला सतना**

दिनांक 12/06/2017

प.क्रं. RS/429/0110/9390/2017 /बी-121/2017

**स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र**



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.कु. रमेश पटेल पिता/पति भोला प्रसाद पटेल निवासी देवरी जगदीशपुर,Deori (Jagdishpur),Amarpatan,सतना तहसील अमरपाटन जिला सतना (मध्यप्रदेश) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील जाप दिनांक 20/12/2011 में निर्धारित नामदण्ड की कण्डिका क्रमांक (ii) की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

2. \* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-3/17/1/3/2011 दिनांक 20/12/2011 के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी\*/अवयस्क दृष्टि" जिनका विवरण नीचे वर्णित है. मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं -

(1) आवेदक की पत्नी का नाम रेखा पटेल आयु 25 वर्ष है।

(2) आवेदक के अवयस्क पुत्र-पुत्री एवं आयु

टीप :- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जाँच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र के आधार पर जारी)

Ramesh Patel

हस्ताक्षर

तहसीलदार/नायब तहसीलदार.

तहसील अमरपाटन

जिला सतना

\* लागू होने पर काट दें।



नोट :- पंजीयन क्रमांक : RS/429/0110/9390/2017 जारी सर्टिफिकेट का सत्यापन वेबसाईट [hikseva.gov.in](http://hikseva.gov.in) अथवा [mpedistrict.gov.in](http://mpedistrict.gov.in) पर यह पंजीयन क्रमांक देकर किया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का पिटअपडट वेबसाईट [www.mpedistrict.gov.in](http://www.mpedistrict.gov.in) से मेरे द्वारा निकाला गया है।

हस्ताक्षर

# कार्यालय उपजिलाधिकारी, जसराना, फिरोजाबाद

क्रमांक-16312204154

दिनांक-21.7.12



## सामान्य निवास प्रमाण पत्र

तहसीलदार जसराना की आख्या-3098 दिनांक-20.7.12 के आधार पर एतद् द्वारा यह प्रमाणित किया

जाता है कि-

श्रीमती कुमारी गुप्ता

पति- श्री कौशल किशोर गुप्ता

निवासी- खैरगढ़

स्थान-खैरगढ़ जनपद-फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का/की निवासी है तथा उनका वर्तमान पता है।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदन एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा इसमें सतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य निवासी होने (Ordinary Resident) विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।

उपजिलाधिकारी/सहम अधिकारी  
जसराना, फिरोजाबाद

नोट -

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी अन्य कार्य हेतु आवेदन करने के लिए ही कल्पित नहीं किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई सम्बन्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विचार दिशिका-1955 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रमाण पत्र का सत्यापन राजस्व परिषद की वेबसाइट <http://www.bor.up.nic.in> पर किया जा सकता है।